PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Jansatta, Delhi
Thursday 14th August 2014, Page: 5
Width: 16.99 cms, Height: 5.95 cms, a4, Ref: pmin.2014-08-14.36.31

जेनरिक दवाओं के मसले पर केंद्र को नोटिस

जनसत्ता ब्यूरो

नई दिल्ली, 13 अगस्त। सुप्रीम कोर्ट ने देश में एक ही जेनरिक प्रकृति की सस्ती औषधियों और टीकों की अनुपलब्धता से प्रभावित हो रही देश की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के मसले पर गौर करने का बुधवार को फैसला किया। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति वी गोपाल गौड़ा की खंडपीठ ने इस मसले को लेकर दायर जनहित याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि जेनरिक औषधियों और टीकों के इस्तेमाल के लिए 2002 में बनी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति सही तरीके से लागू नहीं की जा रही है।

अदालत ने केंद्र सरकार से चार हफ्ते में इस मामले में जवाब मांगा है और इस बीच उसने वरिष्ठ वकील बीएच मरियापल्ले को अदालत की मदद के लिए न्याय मित्र नियुक्त किया है। अदालत ने कहा कि वह याचिका में उठाए गए विपणन के मसले पर भी गौर करेगी। अदालत ने स्पष्ट किया कि जेनरिक औषधियों और टीकों के बारे में नीति होने के बावजूद वह नोटिस जारी कर रही है क्योंकि इस मामले में सही तरीके से अमल नहीं किए जाने की वजह से ही जेनरिक फार्मूले वाली सस्ती दवाएं उपलब्ध नहीं हैं।

यह जनहित याचिका वकील दीपक कंसल ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि देश में स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बनी स्वास्थ्य नीति पर सही तरीके से अमल नहीं किया जा रहा है। अदालत ने इस कथन का भी संज्ञान लिया कि इस वजह से गरीबी की रेखा से नीचे या थोड़ा ऊपर जीवन यापन करने वालों को जरूरत के वक्त दवाएं नहीं मिलती हैं।